रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226544
CG-MH-E-13042021-226544

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943
No. 168] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 23 मार्च, 2021

सं. टीएएमपी/20/2020-पीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद द्वारा लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र के वैगन टिप्पलर पर ताप कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन द्वारा उतरायी और मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग के प्रशुल्क निर्धारण के संबंध में परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/20/2020-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास --- **आवेदक**

<u>गणपूर्ति</u>

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मार्च 2021 के 16वें दिन पारित)

यह मामला लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र के वैगन टिप्पलर पर ताप कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन द्वारा उतरायी और मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग के प्रशुल्क निर्धारण के संबंध में परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के 5 अक्तूबर, 2020 के पत्र संख्या ईएम/एमसीएचपी/वर्क्स-03/20/516 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. पीपीटी के प्रस्ताव की विशिष्टताओं का सारांश नीचे दिया जाता है:

(i). परादीप पत्तन बीओबीआरएन वैगनों के माध्यम से प्राप्त ताप कोयले की एक बहुत बड़ी मात्रा मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र (एमसीएचपी) से प्रहस्तन करता है। बीओबीआरएन वैगनों के अतिरिक्त, पीपीटी ताप कोयले की ढुलाई करने वाले बाक्स-एन वैगन भी प्राप्त करता है।

(ii). पीपीटी के पास उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना के अनुसार, बाक्स-एन वैगनों से प्राप्त ताप कोयले की साइडिंग प्लाटों में हस्तचालित उतरायी करके डम्परों में भरकर एमसीएचपी स्टॉकयार्ड में ले जाया जाता है जहां से कोयला बर्थों में पोत लदान के लिये ले जाया जाता है अथवा लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) स्थित वैगन टिप्पलरों में मशीनीकृत उतरायी की जाती है और आईओएचपी के स्टैकयार्ड में स्टैक किया जाता है जहां से आईओबी बर्थ में पोत-लदान किया जाता है।

(iii). आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क का पूरी तरह निर्यात के पुनरारम्भ होने पर, ताप कोयले की ढुलाई करने वाले बाक्स-एन वैगनों से साइडिंग प्लाटों में हस्तचालित उतरायी होने लगी है। ताप कोयले की हस्तचालित उतरायी और डम्परों के माध्यम से एमसीएचपी के स्टैकयार्ड में ले जाने में एमसीएचपी अथवा आईओएचपी में ताप कोयले की प्रहस्तन लागत की तुलना में अत्यधिक प्रहस्तन लागत आती है। इसके निर्यातक ताप कोयले के लिए बॉक्स-एन रेकों के प्रहस्तन से हतोत्साहित हो रहे हैं।

(iv). इसके अतिरिक्त, आईओबी बर्थ पर ड्राफ्ट संबंधी सीमाएं हैं, जहां पैनामैक्स पोतों की लदाई की अनुमति नहीं है, जिसके लिए निर्यातकों को पोत अंतरण प्रभार तथा पैनामैक्स पोतों में ताप कोयले की पूरी मात्रा के लदान तक पोतों के बेकार खड़े रहने के प्रभार भी देने पड़ते हैं।

(v). लेकिन, निर्यातकों को सीधे एमसीएचपी में पैनामैक्स पोतों के लदान का यह लाभ होता है कि उन्हें पोतों के अंतरण की लागत नहीं देनी पड़ती। इसके अतिरिक्त, एमसीएचपी को इस प्रकार बनाया गया हे कि वहाँ ताप कोयला प्रहस्तन के लिए पैनामैक्स पोतों के प्रहस्तन की दो बर्थ हैं और उनकी निर्धारित क्षमता 4000 टीपीएच है। आगे और कि, एमसीएचपी का इष्टतम उपयोग इसलिए प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि एमसीएचपी के लिए पर्याप्त संख्या में बीओबीआरएन रेक उपलब्ध नहीं होते।

(vi). इस प्रकार, उक्त समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से, पत्तन द्वारा आईओएचपी तथा एमसीएचपी के इष्टतम उपयोग और यथातथ्यता के लिए इस मंशा से "आईओएचपी और एमसीएचपी के संयोजन" की परियोजना की संकल्पना की गई है कि ताप कोयले की ढुलाई करने वाले बाक्स-एन वैगनों को, जिनकी हस्तचलित उतरायी साइडिंग में की जा रही है, लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) के वैगन टिप्पलर में उतारा जाये और संयोजी संचलन प्रणाली के माध्यम से मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र (एमसीएचपी) के स्टैकयार्ड में ले जाया जाये।

(vii). इस परियोजना के लाभ हैं:

(क). आईओएचपी के दोनों वैगन टिप्पलरों की अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग किया जा सके।

(ख). एमसीएचपी क्षमता को इष्टतम करना।

(ग). प्रहस्तन प्रक्रिया को पूर्णत: मशीनीकृत कर देना।

(घ). रेलवे को भी पीपीटी को बाक्स-एन रेक उपलब्धता कराने में सुविधा होगी क्योंकि दोहरे प्रचालन का उनका प्रयोजन अत्यधिक इष्टतम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

(ङ). हस्तचालित उतरायी और एमसीएचपी को डम्परों में अंतरण की तुलना में निर्यातकों के लिए किफायती होगा। इससे पत्तन को और कार्गो बढ़ेगा।

(च). पीपीटी को 71.85 रु. प्रति एमटी का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

(छ). निर्यातक एमसीएचपी पर, पोतों के अंतरण के बिना, पैनामैक्स पोत सीधे लदान कर सकेंगे परिणाम में, उनके अंतरण प्रभारों में बचत होगी।

2.2. आईओएचपी और एमसीएचपी के संयोजन का उपयोग करते हुए लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र के वैगन टिप्पलर पर ताप कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन द्वारा उतरायी और मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग के प्रशुल्क निर्धारण का लागत विवरण, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए, पीपीटी द्वारा यथा प्रस्तुत, नीचे दिया जाता है:-

	पूंजीगत लागत	**रु. करोड़ में**	**अभियुक्तियां**	
1	सिविल लागत	**9.60**	संविदा अवार्ड के अनुसार	
2	यांत्रिक लागत	**56.86**		
3	टिप्पलर लागत	**3.23**	2011 में लागत 8.075 करोड़ रु. है। 6.66% प्रति वर्ष के मूल्यह्रास को सुविचार में लेते हुए वर्तमान लागत 3.23 करोड़ रु. है।	
4	पीएमसी तथा परिचालन पूर्व	**2.00**	संविदा अवार्ड के अनुसार	
	कुल पूंजीगत लागत	**71.69**		
	परिचालन लागत		**संकल्पनाएं**	**अभियुक्तियां**
1	विद्युत	**1.06**	सिस्टम केवल प्राप्त परिचालन के लिए आशयित/ अत: वि. वर्ष 2018-19 में प्राप्त परिचालन के लिए एमसीएचपी में विद्युत व्यय से 3 एमएमटी के लिए अनुपातिक विद्युत व्यय।	वित्त वर्ष 2018-19 में एमसीएचपी के विद्युत प्रभार, शिपिंग और प्राप्त परिचालन दोनों के लिए 178 करोड़ रु. है। वित्त वर्ष 2018-19 में एमसीएचपी के द्वारा प्रहस्तित कार्गो 25.18 एमएमटी है। प्रस्तावित सिस्टम के लिए विद्युत प्रभार, इसे प्राप्ति सिस्टम समझते हुए है:- [रु. 17.8 करोड़/(2 X 25.18एमएमटी)] X 3एमएमटी =1.06 करोड़
2	मरम्मत व अनुरक्षण	**3.00**	यांत्रिक लागत का 5%	सिस्टम में कोई बड़ा मूविंग उपस्कर उपलब्ध नहीं है।
3	बीमा	**0.35**	स्थायी आस्तियों का 0.5%	पीपीटी आस्तियों के वर्तमान बीमा के अनुसार अनुपातिक मूल्य यानी (1905 करोड़ रु. की आस्ति के लिए 9.11 करोड़ रु.

4	मूल्यह्रास	**4.97**	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के क्रमांक IV (i) (क) के अनुसार सीधी रेखा विधि के अनुसार 15 वर्ष के लिए मूल्यह्रास परिकलन के लिए उपयोगी जीवन (अनुलग्नक-4)	आस्ति मूल्य में से प्रति वर्ष 6.66% की घटौती।
5	अन्य व्यय	**0.70**	स्थायी आस्तियों का 1%	चूंकि परियोजना मौजूदा टर्मिनलों का एक भाग है।
	कुल परिचालन लागत (ओएंडएम)	**10.08**		
	राजस्व अपेक्षा	**21.55**	औपेक्स + आरओसीई यानी कापैक्स का 16%	ओपैक्स = 10.08 करोड़ रु. आरओसीई = कापेक्स का 16% =16%X71.69 करोड़ =11.47 करोड़ रु.
	प्रहस्तित किया जाने वाला यातायात	**3.00 एमएमटीए**	3एमएमटीपीए का यातायात प्रक्षेपण हस्तचालित ताप कोयला उतरायी की मात्रा को सुविचार में लेते हुए और वि. वर्ष 2018-19 में एमसीएचपी को अंतरित	
	यातायात (रु. प्रति टन) ताप कोयले के यांत्रिक प्रहस्तन के लिए (वैगन टिप्पलर पर उतरायी और एमसीएचपी में सैकिंग)	71.85 रु.		

2.3. उपरोक्त के आधार पर, पीपीटी का प्रस्ताव, पीपीटी के मौजूदा दरमान में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान, के लिए अनुमोदन चाहता है:-

"

2.3.1. आईओएचपी-एमसीएचपी संयोजन प्रणाली द्वारा प्रहस्तन के प्रभार

सामान का विवरण	**दर प्रति एमटी अथवा उसका एक भाग (रु.)**	
	विदेशी दर	**तटीय दर**
लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र के वैगन टिप्पलर में कोयला वैगन उतरायी और आईसीएचपी व एमसीएचपी संयोजन प्रणाली को प्रयोग करते हुए मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग।	71.85 रु.	71.85 रु.

"

2.4. पीपीटी ने प्रस्ताव के अनुमोदन संबंधी बोर्ड के सकल्प की प्रति भी प्रस्तुत की है।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार पीपीटी के 5 अक्तूबर 2020 का प्रस्ताव संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया। किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन ने मामले की अंतिमता तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कीं।

4. कोविड-19 महामारी को देखते हुए और वर्चुयल बैठकें आयोजित करने के संबंध में तत्कालीन पोत-परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 16 अप्रैल 2020 के पत्र संख्या 11053/30/2020-समन्वय के अनुपालन में, संदर्भाधीन मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 दिसंबर, 2020 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। पीपीटी ने अपने प्रस्ताव का एक संक्षिप्त पॉवर प्वाईंट प्रस्तुतीकरण दिया। संयुक्त सुववाई के दौरान प्रयोक्ताओं ने भी अपने अपने निवेदन रखे।

5.1. संयुक्त सुनवाई में, पीपीटी को प्रस्तावित सुविधा में ताप कोयले के साथ अन्य शुष्क बल्क कार्गो को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया। तदनुसार, पीपीटी को 01 जनवरी, 2021 के पत्र के द्वारा अनुरोध किया गया था कि प्रस्तावित दरमानों में अंतर्विष्ट किये जाने वाले प्रभारों को संसूचित करे ताकि पत्तन प्रस्तावित सुविधा में अन्य शुष्क बल्क कार्गो प्रहस्त करने में भी सक्षम हो सके।

5.2. इस संबंध में पीपीटी ने 18 जनवरी, 2021 के अपने पत्र के द्वारा पीपीटी के मौजूदा दरमान में निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव किया।

"

2.3.1. आईओएचपी-एमसीएचपी संयोजन प्रणाली द्वारा प्रहस्तन के प्रभार

सामान का विवरण	**दर प्रति एमटी अथवा उसका एक भाग (रु.)**	
	विदेशी दर	**विदेशी दर**
लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र के वैगन टिप्पलर में शुष्क बल्क कार्गो उतरायी और आईसीएचपी व एमसीएचपी संयोजन प्रणाली को प्रयोग करते हुए मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग।	71.85 रु.	71.85 रु.

"

6. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.inपर उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. संदर्भाधीन मामले के संसाधन के दौरान प्राप्त सूचना की समग्रता के आधार पर, निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है:-

(i). परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) बाक्स-एन वैगनों के माध्यम से प्राप्त कोयले के शिपमैंट का प्रहस्तन सामान्यत:, निम्नलिखित दो तरीके से, करता है:

(क). साइडिंग प्लटों में कोयले की हस्तचालित उतरायी और कोयला बर्थों में जलयानों में लदान के लिए डम्परों द्वारा मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र (एमसीएचपी) के स्टैकयार्ड में ले जाना।

(ख). लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) स्थित वैगन टिप्पलरों में कोयले की यांत्रिक उतरायी और आईओबी बर्थ में जलयानों में लदान के लिए आईओएचपी स्टैकयार्ड में स्टैकिंग करना।

चूंकि हाल ही के समय में, आईओएचपी के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात में सुधार हुआ है, ताप कोयले की ढुलाई करने वाले बाक्स-एन वैगन साइडिंग भूखंडों में हस्तचालित उतरायी कर रहे हैं। लेकिन, यह बताया गया है कि ताप कोयले की हस्तचालित उतरायी और डम्परों के माध्यम से एमसीएचपी के स्टैकयार्ड में अंतरण में एमसीचपी अथवा आईओएचपी में ताप कोयले की प्रहस्तन लागत काफी अधिक पड़ती है। इसलिए निर्यातक ताप कोयले के लिए बाक्स-एन रेकों के प्रहस्तन से हतोत्साहित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि आईओबी बर्थ में ड्राफ्ट की सीमाएं हैं जिसकी वजह से वहा पैनामैक्स पोतों का लदान नहीं हो पा रहा। यह बताया गया है कि निर्यायक ताप कोयले की पूरी मात्रा को पैनामैक्स पोतों में लदान के लिए पोत के अंतरण पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है।

इस पृष्ठभूमि में, पत्तन में, "आईओएचपी तथा एमसीएचपी के संयोजन" की संकल्पना की है ताकि प्रयोक्ताओं को शिथिलता दी जा सके। इस परियोजना के अनुसार, ताप कोयले की ढुलाई करने वाले बाक्स-एन वैगनों को जिनकी वर्तमान में साइडिंग में हस्तचालित उतरायी की जाती है, आईओएचपी के वैगन टिप्पलर में टिप्पल किया जाये और एमसीएचपी के स्टैकयार्डों को संयोजित हस्तातंरण करने के माध्यम से परिवहन किया जाए।

तदनुसार, पत्तन का प्रस्ताव ताप कोयले की आईओएचपी के वैगन टिप्पलर में मशीनीकृत उतरायी और एमसीएचपी के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग के लिए समेकित दर निर्धारण के लिए है। पत्तन के प्रस्ताव को पीपीटी के न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

(ii). प्रशुल्क नीति 2018 का खंड 7.6.1 अनुबद्ध करता है कि जब कभी पत्तन विशेष के दरमान में किसी नई सेवा/सुविधा के लिए विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध न हो, संबंधित महापत्तन न्यास किसी अन्य महापत्तन न्यास में तुलनीय सेवा के लिए निर्धारित प्रशुल्क और निष्पादन मानक, यदि कोई हो, अपना सकता है और यदि ऐसी तुलनीय दर उपलब्ध नहीं है, तो दिशानिर्देश पत्तन से यह अपेक्षा करते हैं कि वह ऐसी नई सेवा/सुविधा के प्रशुल्क की अधिसूचना के लिए, 2008 दिशानिर्देशों के सिद्धांतों के अनुसार इष्टतम क्षमता के संदर्भ से अथवा लागत जमा 16% प्रतिफल फार्मूले के आधार पर अपना प्रस्ताव दायर करे। इस प्रकार, पीपीटी का प्रस्ताव लागत जमा 16% प्रतिफल सूत्र पर आधारित है। पीपीटी के आकलन में सुविचारित प्रत्येक लागत प्रतिमान पर आगामी पैराओं में चर्चा की जाती है।

(iii). पीपीटी द्वारा 3 एमएमटीपीए के यातायात का प्रक्षेपण किया गया है, वर्ष 2018-19 के दौरान ताप कोयले की हस्तचालित उतरायी और एमसीएचपी को अंतरित की गई मात्रा पर आधारित है। यह दिया गया है कि इस मामले में ताप कोयले की हस्तचालित उतरायी और एमसीएचपी को अंतरित की गई वास्तविक मात्रा तर्कसंगत है तथा इस संबंध में पत्तन के निर्णय पर भरोसा किया जाता है।

(iv). सुविधा की पूंजीगत लागत में 9.60 करोड़ रु. की सिविल लागत, 56.86 करोड़ रु. की यांत्रिक लागत, टिप्पलर की लगत 3.23 करोड़ रु. तथा 2 करोड़ रु. तक के परिचालन-पूर्व और परामर्शी लागत शामिल हैं और कुल मिलाकर यह लागत 71.69 करोड़ रु. होती हैं। पीपीटी ने 9.60 करोड़ रु. की सिविल लागत, 56.86 करोड़ रु. की यांत्रिक लागत तथा 2 करोड़ रु. तक के परिचालन-पूर्व और परामर्शी लागत के दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। इसलिए इन पर विश्लेषण में सुविचार किया जाता है। जहां तक टिप्पलर की लागत का संबंध है, यह बताया गया है कि यह वर्तमान मूल्यह्रासित लागत है। टिप्पलर की मूल्यह्रासित लागत पर भरोसा किया जाता है।

(v). परिचालन लागतों में, विद्युत लागत, मूल्यह्रास और अन्य व्यय शामिल हैं। परिचालन लागत के प्रत्येक घटक पर नीचे चर्चा की जाती है:-

(क). विद्युत लागत–

वर्ष 2018-19 में एमसीएचपी से संबंधित विद्युत लागत को पीपीटी द्वारा आधार के रूप में लेकर और 3एमएमटीपीए के यातायात के लिए अनुपातिक रूप से लिया गया है।

(ख). मरम्मत और अनुरक्षण लागत यांत्रिक लागत के 5% पर सुविचार में ली गई है। यह उल्लेखनीय है अपफ्रंट दिशानिर्देश 2008 भी मरम्मत और अनुरक्षण लागत इसी स्तर पर सुविचार की अनुमति देते हैं।

(ग). बीमा लागत स्थायी आस्तियों की लागत के 0.5% पर सुविचार में ली गई है। यह उल्लेखनीय है अपफ्रंट दिशानिर्देश 2008 भी बीमा लागत पूंजीगत लागत के 1% पर सुविचार की अनुमति देते हैं।

(घ). यह बताया गया है कि मूल्यह्रास की दरों का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किया गया है।

(ङ). अन्य व्यय पर स्थायी आस्तियों की लागत के 1% पर सुविचार में लिया गया है। यह उल्लेखनीय है अपफ्रंट दिशानिर्देश 2008 भी अन्य व्ययों को पूंजीगत लागत के 5% पर सुविचार की अनुमति देते हैं।

इस प्रकार, विभिन्न लागत घटकों के निर्धारण में पूंजीगत लागतों के विभिन्न प्रतिशत पर सुविचार में लेने का पीपीटी का निर्णय भरोसे योग्य है। पत्तन द्वारा आकलित कुल परिचालन लागत 10.08 करोड़ रु. है।

(vi). पीपीटी ने 71.69 करोड़ रु. की कुल पूंजीगत लागत के 16% प्रतिफल को सुविचार में लिया है जो 11.47 करोड़ रु. बनता है।

(vii). इस प्रकार, पत्तन द्वारा परिचालन लागत और पूंजीगत लागत पर 16% प्रतिफल को सुविचार में लिया है जो 21.55 करोड़ रु. बनता है।

(viii). 21.55 करोड़ रु. की राजस्व अपेक्षा और 3 एमएमटीपीए पर सुविचार करते हुए, आईओएचपी के वैगन टिप्पलर पर उतरायी और एमसीएचपी के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग द्वारा ताप कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन की समेकित दर पत्तन द्वारा 71.85 रु. प्रति एमटी निकाली गई है।

(ix). जैसी पूर्व के पैराओं में चर्चा की गई है, लागत तत्व के आधार पर और यह दिया गया है कि प्रयोक्ताओं ने भी पत्तन के प्रस्ताव का समर्थन किया है और यह भी कि चूंकि पत्तन के प्रस्ताव को न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है, यह प्राधिकरण आईओएचपी के वैगन टिप्पलर पर उतरायी और एमसीएचपी के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग द्वारा ताप कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन की समेकित दर 71.85 रु. प्रति एमटी के निर्धारण का अनुमोदन करने को प्रवृत्त है।

(x). आरंभ में पत्तन का प्रस्ताव आईओएचपी और एमसीएचपी को संयोजित प्रणाली द्वारा आईओएचपी के वैगन टिप्पलर पर कोयला वैगन की अतरायी और एमसीएचपी के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग करने के लिए दर के निर्धारण का था। तथापि, संयुक्त सुनवाई के दौरान, पीपीटी की यह राय थी कि ताप कोयले की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने पर, पत्तन 3एमएमटीपीए की समग्र क्षमता के भीतर प्रस्तावित व्यवस्था में अन्य शुल्क बल्क कार्गो का प्रहस्त भी कर सकेगा। अत: पत्तन ने इस प्रभाग का एक आशोधित प्रस्ताव दिया कि प्रस्तावित सुविधा में अन्य शुष्क बल्क कार्गो को भी प्रहस्त किया जा सकता है। पत्तन ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित सुविधा ताप कोयले के साथ-साथ अन्य शुष्क बल्क कार्गो भी प्रहस्त किया जा सकता है और कि किसी अन्य अतिरिक्त सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी। पत्तन ने यह भी पुष्टि की है कि अन्य शुष्क बल्क कार्गो की प्रहस्तन दर भी वही रहेगा जो ताप कोयले की होगी। अत:, पीपीटी द्वारा किये गए विशिष्ट अनुरोध पर, और पत्तन को शिथिलता प्रदान करने के लिए, यह प्राधिकरण आईओएचपी के

वैगन टिप्पलर पर उतरायी और एमसीएचपी के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग द्वारा सभी शुष्क बल्क कार्गो के मशीनीकृत प्रहस्तन की समेकित दर पत्तन द्वारा 71.85 रु. प्रति एमटी की दर का अनुमोदन करने को प्रवृत्त है।

(xi). इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यत: राजपत्र की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरापेक्षी प्रभाव से लागू होते है, जब तक कि संबंधित प्रशुल्क आदेश में विशेष रूप से अन्यथा भिन्न व्यवस्था का उल्लेख न किया गया हो। तदनुसार, यह प्राधिकरण पीपीटी के आईओएचपी के वैगन टिप्पलर पर उतरायी और एमसीएचपी के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग द्वारा सभी शुष्क बल्क कार्गो के मशीनीकृत प्रहस्तन की समेकित दर पत्तन द्वारा 71.85 रु. प्रति एमटी की उगाही का अनुमोदन इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरापेक्षी प्रभाव से मंजूर करता है।

8.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण पीपीटी के मौजूदा दरमानों के अध्याय-II कार्गो संबंधी प्रभार के अंतर्गत खंड 2.3.1 के रूप में निम्नलिखित उपबंध को अंतर्विष्ट करने का अनुमोदन करता है:-

"

2.3.1. आईओएचपी-एमसीएचपी संयोजन प्रणाली द्वारा प्रहस्तन के प्रभार -

शुल्क बल्क कार्गो को उतारने के लिए गतिविधि	दर प्रति एमटी अथवा उसका एक भाग (रु.)	
	विदेशी दर	तटीय दर
लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र के वैगन टिप्पलर में शुष्क बल्क कार्गो उतरायी और आईसीएचपी व एमसीएचपी संयोजन प्रणाली को प्रयोग करते हुए मशीनीकृत कोयला प्रहस्तन संयंत्र के स्टैकयार्ड में स्टैकिंग।	71.85 रु.	71.85 रु.

"

8.2. पीपीटी को अपने दरमानों में उक्त उपबंध को उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करने का निदेश दिया जाता है।

8.3. उक्त निर्धारण भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगा और पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य होगा यानी 30 सितंबर, 2021 तक। दिया गया अनुमोदन तत्पश्चात् स्वत: व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा इसका विशिष्ट रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./32/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd March, 2021

No. TAMP/20/2020-PPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for fixation of tariff for Mechanized Handling of Thermal Coal by unloading at Wagon Tippler of Iron Ore Handling Plant and stacking at Stockyard of Mechanized Coal Handling Plant as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/20/2020-PPT

Paradip Port Trust --- **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 16th day of March 2021)

This case relates to the proposal received from Paradip Port Trust (PPT) vide its letter No. EM/MCHP/Works-03/20/516 dated 5 October 2020 for fixation of tariff for Mechanized Handling of Thermal Coal by unloading at Wagon Tippler of Iron Ore Handling Plant and stacking at Stockyard of Mechanized Coal Handling Plant.

2.1. The highlights of the proposal of PPT are summarized below:

(i). Paradip Port is handling major chunk of thermal coal received through BOBRN wagons in Mechanised Coal Handling Plant (MCHP). Apart from BOBRN wagons, PPT is also receiving BOX-N wagons carrying thermal coal.

(ii). As per present infrastructure available with PPT, thermal coal received through BOX-N wagons are either manually unloaded in siding plots and shifted in dumpers to MCHP stockyard for ship-loading at Coal Berths or mechanically unloaded at wagon tipplers at Iron Ore Handling Plant (IOHP) and stacked in IOHP stockyard for ship-loading at IOB Berth.

(iii). On resumption of full-fledged iron ore export through IOHP, BOX-N wagons carrying thermal coal are resorted for manual unloading in siding plots. Manual unloading of thermal coal and shifting through dumpers to stockyard of MCHP involves very high handling cost as compared to handling cost of thermal coal at MCHP or in IOHP. This discourages Exporters for handling BOX- N rakes for thermal coal.

(iv). Besides, IOB berth is having draft restrictions which does not allow loading of Panamax vessel for which Exporters have to incur additional expenditure on account of vessel shifting charges and idling of vessels for loading of full quantity of thermal coal in Panamax vessels.

(v). However, Exporters have an advantage to load a Panamax vessel at MCHP directly without incurring cost towards shifting of vessels. Besides, MCHP is designed for handling thermal coal having 2 berths for handling Panamax vessels and with a rated capacity of 4000 TPH. Further, optimum utilization of MCHP could not be achieved due to non-availability of sufficient of BOBRN Rakes for MCHP.

(vi). Thus, in order to mitigate the above concerns, the project of “Connectivity of IOHP & MCHP” was conceptualized by Port for optimum utilization & versatility of IOHP & MCHP with an intent that BOXN wagons carrying thermal coal which are being unloaded at manual siding shall be tippled in the Wagon Tippler of Iron Ore Handling Plant (IOHP) and will be conveyed to the Stockyards of Mechanized Coal Handling Plant (MCHP) through connectivity conveying system.

(vii). The advantages of this project are:

(a). Spare capacity of both wagon tipplers of IOHP can be utilized.

(b). Optimization of MCHP capacity.

(c). Handling process is completely converted to mechanized process.

(d). Railway is also comfortable to provide BOX N rakes to PPT since their purpose of double operation can be achieved in a most optimal manner.

(e). Handling cost will be economical for Exporters as compared to manual unloading and shifting in dumpers to MCHP. This will attract more cargo will to Port.

(f). Generation of additional revenue of Rs.71.85 per MT to PPT.

(g). Exporters can directly load a Panamax vessel at MCHP without shifting of vessels which results in saving of shifting charges.

2.2. The Cost statement working out the tariff for the Mechanized Handling of Thermal Coal by unloading at Wagon Tippler of Iron Ore handling plant and stacking at stockyard of Mechanized Coal Handling Plant using IOHP & MCHP connectivity, following principles of 2008 Tariff Guidelines, as furnished by PPT is given below.

\	**Capital Cost**	**₹ in crores**	**Remarks**	
1	Civil Cost	**9.60**	As per Award of Contract	
2	Mechanical Cost	**56.86**		
3	Tippler Cost	**3.23**	Cost is Rs.8.075 Cr. in 2011. Considering depreciation @ 6.66% per Annum, the present cost is Rs.3.23 Cr.	
4	PMC & Pre-operative	**2.00**	As per Award of Contract	
	Total Capital Cost	**71.69**		
	Operating Cost		**Assumptions**	**Remarks**
1	Power	**1.06**	System intended for receiving operation only. Hence proportionate power expenditure for 3 MMT w.e.f power expenditure in MCHP for receiving operation in FY 2018-19.	Energy charges for the MCHP in FY 2018-19: Rs.17.8 Cr. for both shipping & receiving operation. Cargo Handled through MCHP in FY:2018-19: 25.18MMT. Energy charges for the proposed system considering it as a receiving system: [Rs.17.8Cr/(2 X 25.18MMT)] X 3MMT=1.06 Cr
2	Repair & maintenance	**3.00**	5% of Mechanical Cost	No major moving equipment available in system
3	Insurance	**0.35**	0.5% of fixed assets	Proportionate value as per present insurance of PPT asset i.e. Rs.9.11 Cr. for an asset value of Rs.1905 Cr.
4	Depreciation	**4.97**	Straight line for 15 years as per Sl.No. IV (i) (a) of part 'C' of Schedule 11 of Company Act'2013 --- Useful lives to compute depreciation (Annexxure-4)	6.66% reduction in each year of asset value.
5	Other Expenses	**0.70**	1% of fixed assets	Since the project is only part of existing terminals
	Total operating cost (O&M)	**10.08**		
	Revenue Requirement	**21.55**	Opex + ROCE i.e. 16% of Capex	Opex = 10.08 Cr. ROCE = 16% of Capex =16%X71.69Cr=11.47Cr.
	Traffic to be handled	**3.00 MMTA**	Traffic Projection of 3MMTPA has been considered taking into account the Qty of thermal coal unloaded manually and shifted to MCHP in FY:2018-19	

	Traffic (Rs. Per Ton) for mechanized handling of thermal coal (Unloading at Wagon Tippler and Stacking at MCHP)	**Rs.71.85**	

2.3. Based on the above, the proposal of PPT seeks approval for inclusion of following additional provision in the existing Scale of Rate of PPT:

"

2.3.1. Charges of handling through IOHP-MCHP Connectivity System.

Description of Goods	**Rate per MT or part thereof (Rs.)**	
	Foreign Rates	**Coastal rates**
Unloading of coal wagon at Wagon Tippler of Iron Ore Handling Plant and stacking at Stockyard of Mechanized Coal Handling Plant using IOHP & MCHP connectivity system	Rs.71.85	Rs.71.85

"

2.4. The PPT has furnished the copy of the Board Resolution approving the proposal.

3. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of PPT dated 5 October 2020 was forwarded to the concerned users/ user organisations seeking their comments. None of the users/ user organisations have furnished their comments till the case was finalised.

4. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the then Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 22 December 2020 through Video Conferencing. The PPT has made a brief power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the PPT and the users have made their submissions.

5.1. In the joint hearing, the PPT has requested to consider inclusion of other dry bulk cargo along with Thermal Coal at the proposed facility. Accordingly, the PPT was requested vide letter dated 01 January 2021 to convey the changes to be incorporated in the proposed Scale of Rates so as to enable the Port to handle other dry bulk cargo also at the proposed facility.

5.2. In this regard, the PPT vide its letter dated 18 January 2021 has proposed inclusion of the following clause in the existing Scale of Rates of PPT:

"

2.3.1. Charges of handling through IOHP-MCHP Connectivity System.

Description of Goods	**Rate per MT or part thereof (Rs.)**	
	Foreign Rates	**Coastal rates**
Unloading of dry bulk cargo at Wagon Tippler of Iron Ore Handling Plant and stacking at Stockyard of Mechanized Coal Handling Plant using IOHP & MCHP connectivity system	Rs.71.85	Rs.71.85

"

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made during the joint hearing will be sent separately to the port and relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i). The Paradip Port Trust (PPT) handles shipment of thermal coal received at PPT through BOX-N wagons generally in the following two ways viz.

(a). Manual unloading of coal in siding plots and shifting in dumpers to the stockyard of Mechanised Coal Handling Plant (MCHP) for loading onto the ships at Coal Berths or,

(b). Mechanical unloading of coal at wagon tipplers at Iron Ore Handling Plant (IOHP) and stacking in the stockyard of IOHP for loading onto ships at IOB Berth.

Since in the recent times, iron ore exports through IOHP has improved, the BOX-N wagons carrying thermal coal are being resorted to manual unloading in siding plots. However, given that the manual unloading of thermal coal and shifting through dumpers to stockyard of MCHP involves high handling cost as compared to handling cost of thermal coal at MCHP or in IOHP, it is reported to be discouraging the Exporters to consider handling of BOX- N rakes for thermal coal. Further, since IOB berth has draft restrictions, thereby not allowing loading of Panamax vessels, the Exporters are reported to have to incur additional expenditure for shifting of vessel for loading of full quantity of thermal coal in Panamax vessels.

In this backdrop, the port has conceptualized the project of "Connectivity of IOHP & MCHP", so as to give flexibility to the users. As per this project, the BOX-N wagons carrying thermal coal and being presently unloaded at manual siding shall be, instead tippled in the Wagon Tippler of IOHP and conveyed to the Stockyards of MCHP through connectivity conveying system.

Accordingly, the proposal of the Port is to fix a consolidated rate for mechanized handling of Thermal Coal by unloading at Wagon Tippler of IOHP and stacking at Stockyard of MCHP. The proposal of the port has the approval of the Board of Trustees of PPT.

(ii). Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018 stipulates that whenever a specific tariff for a new service/ facility is not available in the SOR of that particular port, the concerned Major Port Trust can adopt the tariff and performance standards if any, fixed for comparable service in any other Major Port Trust and if such comparable rate is not available, then the Guidelines requires the Port to file a proposal for notification of tariff for the said new service/ facility with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on cost plus 16% return formula. Thus, the proposal of the PPT is based on the cost plus 16% return formula. Each of the cost parameters considered in the calculation of PPT is discussed in the subsequent paragraphs.

(iii). Traffic Projection of 3 MMTPA has been considered by PPT, taking into account the quantity of thermal coal unloaded manually and shifted to MCHP during the year 2018-19. Given that the actual quantity of thermal coal unloaded manually and shifted to MCHP would be relevant for the exercise, the judgment of the port in this regard is relied upon.

(iv). The capital cost of the facility comprises of Civil Cost of ₹9.60 crores, Mechanical Cost of ₹ 56.86 crores, Cost of Tippler at ₹ 3.23 crores and Pre-operative and Consultancy cost to the tune of ₹ 2 crores, thereby aggregating to ₹ 71.69 crores. The PPT has furnished documentary evidence in support of the civil cost of ₹ 9.60 crores and the Mechanical Cost of ₹ 56.86 crores and the Pre-operative and Consultancy cost to the tune of ₹ 2 crores. The same is, therefore, considered in the analysis. As regards the cost of the Tippler, it is reported to be the present depreciated cost. The depreciated cost of the Tippler is relied upon.

(v). The Operating Cost comprises of power cost, repair and maintenance cost, insurance cost, depreciation and other expenses. Each of the operating cost component is discussed below:

(a). Power cost –

The power cost pertaining to MCHP in the year 2018-19 has been taken as base by PPT and proportionately considered for the traffic of 3 MMTPA.

(b). Repairs and Maintenance cost has been considered at 5% of the mechanical cost. It is noteworthy that the 2008 Upfront Tariff Guidelines allows considering Repairs and Maintenance cost at the same level.

(c). Insurance cost has been considered at 0.5% of the cost of fixed assets. It is noteworthy that the 2008 Upfront Tariff Guidelines allows considering insurance cost at 1% of the capital cost.

(d). Depreciation has been reported to be calculated based on the rates as per the Companies Act, 2013.

(e). Other expenses have been considered at 1% of the cost of fixed assets. It is noteworthy that the 2008 Upfront Tariff Guidelines allows considering other expenses at 5% of the capital cost.

Thus, the judgment of the PPT in considering various % of capital cost to determine the various cost components is relied upon. The total operating cost has been assessed by the port at ₹ 10.08 crores.

(vi). The PPT has considered 16% return on the total capital cost of ₹ 71.69 crores, which works out to ₹ 11.47 crores.

(vii). Thus, the revenue requirement comprising of operating cost and 16% Return on capital cost has been determined by the port at ₹ 21.55 crores.

(viii). Considering the revenue requirement at ₹ 21.55 crores and the traffic of 3 MMTPA, the consolidated rate for mechanized handling of Thermal Coal by unloading at Wagon Tippler of IOHP and stacking at Stockyard of MCHP has been worked out by the Port at ₹ 71.85 per MT.

(ix). Based on the cost elements as brought out in the earlier paragraphs and given that the users have also supported the proposal of the port and also since the proposal of the port has the approval of its Board of Trustees, this Authority is inclined to approve prescription of a consolidated rate for mechanized handling of Thermal Coal by unloading at Wagon Tippler of IOHP and stacking at Stockyard of MCHP at ₹ 71.85 per MT.

(x). Initially, the proposal of the port was to prescribe the rate for unloading of coal wagon at Wagon Tippler of IOHP and stacking at Stockyard of MCHP using IOHP & MCHP connectivity system. However, during the joint hearing, the PPT was of the view that in the event there is no adequate quantity of Thermal Coal, the Port would like to handle other dry bulk cargo vide the proposed arrangement, within the overall capacity of 3 MMTPA. Thus, the port has proposed modification to the effect so as to enable it handle any other dry bulk cargo vide the proposed facility. The port has confirmed that the proposed facility would be able to handle thermal coal as well as other dry bulk cargo also and that no additional facility would be needed. The port has also confirmed that the other dry bulk cargo will have same handling rates as that of Thermal Coal. Thus, based on a specific request made by PPT and inorder to give flexibility to the port, this Authority is inclined to approve the consolidated rate of ₹ 71.85 per MT for mechanized handling of all dry bulk cargo by unloading at Wagon Tippler of IOHP and stacking at Stockyard of MCHP.

(xi). Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Accordingly, this Authority is inclined to grant approval for levy of the consolidated rate of ₹ 71.85 per MT for mechanized handling of all dry bulk cargo by unloading at Wagon Tippler of IOHP and stacking at Stockyard of MCHP of PPT prospectively after the expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves incorporation of the following provision as Section 2.3.1 under Chapter II – Cargo related charges of the SOR of PPT:

"

2.3.1. Charges of handling through IOHP-MCHP Connectivity System -

Activity for unloading Dry Bulk Cargo	Rate per MT or part thereof (₹)	
	Foreign Rate	**Coastal rate**
Unloading of dry bulk cargo from wagon at Wagon Tippler of Iron Ore Handling Plant and stacking at Stockyard of Mechanized Coal Handling Plant using IOHP & MCHP connectivity system	Rs.71.85	Rs.71.85

"

8.2. The PPT is directed to suitably incorporate the above provision in its Scale of Rates.

8.3. The above prescription shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and shall remain co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of PPT i.e. upto 30 September 2021. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./32/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.13 15:45:28 +05'30'